

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-20.12.2018

संख्या-1/नियो०स्था० 12/18 श्रम 161/56वीं सं 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार नियोजन सेवा में नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पदों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के वेतनमान वेतन स्तर 9 (₹ 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री कन्हैया	297/ 115346	अनारक्षित	खगड़िया	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार-नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, किशनगंज)
2	श्री अंकित राज	318/ 278821	अनारक्षित	पूर्वी चम्पारण	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर (अतिरिक्त प्रभार- नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, कैमूर, भभुआ)
3	सुश्री वैभव	384/ 202435	अनारक्षित	पटना	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा
4	श्री नीतिश कुमार सिन्हा	390/ 505197	अनारक्षित	भोजपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, मुंगेर
5	श्री जैनेन्द्र कुमार	445/ 126286	पिछड़ा वर्ग	रोहतास	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, नवादा
6	सुश्री रजिया इदरीसी	661/ 323070	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	औरंगाबाद	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार- नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, शिवहर)
7	मो० तौसीफ क्याम	748/ 155475	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अररिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, बेतिया
8	श्री योगेन्द्र पासवान	1431/ 133075	अनु०जाति	अरवल	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, मोतिहारी

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये बिहार नियोजन सेवा नियमावली 1987 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।
4. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से इक्कीस दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/नियो०स्था० 12/18 श्रम 161/

पटना-15, दिनांक-20.12.2018

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/नियो०स्था० 12/18 श्रम 161/

पटना-15, दिनांक-20.12.2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 226, दिनांक 22.10.18 के आलोक में/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. सभी अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा द्वारा योग्य पाये गये हैं।
3. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



20/12/18

सरकार के उप सचिव।